न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 631/2022

राज्य **प्रति** शिवपूजन आदि।
थाना विशेश्वरगंज, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा–II, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **शिवपूजन व परमहंस दूबे** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 08.04.2022 समय अदम तहरीर, बहद स्थान ग्राम लक्खारामपुर, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा कुवारादेवी की बने मड़हा व एक किता मकान में आग लगाकर रिष्टि कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 435 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकती थी। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को भयाक्रान्त करने की नियत से जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की है, को जनदृष्टि में अवमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ देकर अपमानित किया तथा आग लगाकर रिष्ट कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 02–06–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 02–06–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 631/2022

राज्य **प्रति** शिवपूजन आदि।
थाना विशेश्वरगंज, बहराइच।

<u>02-06-2026</u>

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण **शिवपूजन व परमहंस दूबे** मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण **शिवपूजन व परमहंस दूबे** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 435, 504, 506 एवं धारा 3(1)(द ध) एस.सी./एस. टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 04.08.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।